



राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(51) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2025

जयपुर, दिनांक:

—:परिपत्र:—

विषय:— राजसेवकों द्वारा राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने बाबत।

कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में जारी कार्य मूल्यांकन अनुदेश 2008 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.03.2022 के तहत राजसेवकों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज के माध्यम से एसीआर मॉड्यूल पर निश्चित समयावधि में ऑनलाईन भरे जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी की निरंतरता में प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने हेतु अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 निर्धारित है।

अतः राज्य सरकार के समस्त अधिकारी/कर्मचारी प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तक राजकाज के माध्यम से एसीआर मॉड्यूल पर भरा जाना सुनिश्चित करे, साथ ही समस्त प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों (सभी जिला कलेक्टर सहित) को निम्नानुसार कार्यवाही हेतु व्यादिष्ट किया जाता है कि:-

1. अपने अधीन कार्यरत राजसेवकों के वर्ष 2024-25 की एपीएआर/एसीआर राजकाज पोर्टल पर अंतिम तिथि दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक भरने हेतु निर्देशित करे।
2. यह भी सुनिश्चित करे कि अपने अधीनस्थ कैंडर के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के एपीएआर चैनल राजकाज पोर्टल पर उपलब्ध करा दिये गये हैं।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन दिशा निर्देश 05.06.2008 एवं समय-समय पर जारी परिपत्र कार्मिक विभाग की वेबसाइट www.dop.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। राजकाज संबंधित तकनीकी सहायता के लिये राजकाज हैल्पडेस्क नंबर 0141-29-22281, 21149 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(कृष्णा कांत पाठक)
शासन सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Krishna Kant Pathak
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.04.04 22:01:08 IST
Reason: Approved

